दिल्ली विधान समा समाचार भाग - 2

्रिविधायो तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारो हू सोमवार, 29 जनवरो, 1996/माघ 9 1917 हाकह

संख्या 239

सदस्यों को नज़रबंदी एवं रिहाई

माननोय अध्यक्ष, दिल्लो विधान सभा को सम्बोधित अतिहरूत उपायुक्त पुलिस, नई दिल्लो से दिनांक २४-०। १६ को निम्नलिखित संसूचना दिनांक २५-०। १९९६ को प्राप्त हुई:-

"मुंशे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्लो राष्ट्रीय राजधानो राज्यदे को विधान सभा के माननोय सदस्य सर्वश्रो राम भज, ओ पो बब्बर और कर्ण सिंह तंवर को उनके अन्य समर्थकों सहित आज अर्थात् दिनांक 24.01.96 को अपराह्न 12.20 बजे चौक पंडिता पंत मार्ग/तालकटोरा रोड, नौर्थन्यर्च के सामने, नई दिल्लो से पुलिस के विधिसम्मत् निदेंगों को अवज्ञा करने के कारण पुलिस अधिनियम 1978 को धारा 65 के अंतर्गत नज़रबंद किया गया।

उन्हें एवं उनके अन्य समर्थकों सहित उसी दिन अथाति दिनांक २४-०। ९६ को अपराह्न । २ ४५ बजे रिहा कर दिया गया ।

> पो. एन. गुप्ता सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT BULLETIN PART-II

(Ceneral information relating to Legislative & other matters)
Monday, January 29, 1996/Magh 9, 1917 (Saka)

10. 239

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following wireless message dated 24.2.1996 addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Legislative Assembly from the Additional Deputy Commission r of Police, New Delhi District, New Delhi was received on 25.1.96:-

"I have the honour to inform you that S/Shri Ram Bhaj, O.P. Babbar and Karan Singh Tanwar, Hon'ble Members of Legislative Assembly, Delhi alongwith their other supporters were detained under section 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful direction of Police from Round about Pt. Pant Marg/Talkatora Road, infront of Northern Chuch, New Delhi at 1220 hours today i.e. 24.1.96.

They were released at 1245 hours from the same place and the same day. i.e. 24.1.1996.

P.N. GUPTA SECRETARY

. - PARCET PORT AND